छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक 18/आर--20/FAW/2019-20/वित्त/ऑडिट अटल नगर,दिनांक 22/06/2021

प्रति,

.....
.....
.....
.....

विषय :– ध्याानकर्षण हेतु मामलों पर कृत कार्यवाही के संबंध में।

संदर्भ :– प्रधान महालेखाकार(ऑडिट) के ज्ञाप कं. FAW/2019-20/EOM/D-220. dt-20/01/21

––0––

प्रधान महालेखाकार(ऑडिट) छत्तीसगढ़ द्वारा संदर्भित ज्ञाप के माध्यम से वर्ष 2018–19 के वित्त लेखें में भारत के निगंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा उठाये गये ध्यानाकर्षण हेतु मामलों पर कृत कार्यवाही सें अवगत करायें जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में उल्लेखित है कि कतिपय सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए विगत 1 से 4 वर्षो के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नही किया है। अतः कृपया संबंधित प्रशासकीय विभाग चूक करने वाली कंपनियों से अधिनियमों का पालन कराना सुनिश्चित करें। ऑडिट रिपोर्ट की अनुशंसा अनुसार तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन नही होने की दशा में वित्तीय समर्थन अवरूद्ध करने के कार्यवाही की जावें।

संबंधित विभाग उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराने का कष्ट करें।

(सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

अपर सचिव 17/6
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक /आर–20/FAW/2019–20/वित्त/ऑडिट अटल नगर,दिनांक /06/2021

प्रतिलिपिः–

1. कार्यालय महालेखाकार (ऑडिट) छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम .....
.....की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव 17/6
वित्त विभाग

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of Accountant General (Audit), Chhattisgarh, Raipur

20/FAW/2019-20/EOM/D-220

दिनांक
Date : 20/01/2021

03/02/21

सचिव छ.ग. शासन, वित्त विभाग
पत्र जावक क्रमांक 332
दिनांक 23.01.2021

To,

The Secretary,
Finance Department,
Government of Chhattisgarh,
Mahanadi Bhavan, Mantralaya,
Atal Nagar, Chhattisgarh

Subject : Regarding action taken on Emphasis of Matter

Ma'am,

I would like to bring to your kind attention that the issues related to Off-Budget Borrowing, providing budgetary support to PSU during the period for which their accounts were in arrear and non-regularisation of excess expenditure over budget provisions were depicted in the Emphasis of Matter of Finance Accounts/Appropriation Accounts of the State during 2017-18 and 2018-19 (***Annexure-I & IV***).

In this regard it is requested to provide the information regarding action taken by the State Government on these issues.

Regards,

Yours faithfully,

Principal Accountant General (Audit)

ASD(I)

AAO(Audit)
02/02/21

पोस्ट - मांढर, जीरो प्वाइंट, रायपुर - 493 111 (छत्तीसगढ़)
Post - Mandhar, Zero Point, Raipur - 493 111 (Chhattisgarh)
फोन/Phone : 2582082 • फैक्स/Fax : 2582505 • ई-मेल/Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे समाहित है, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड–I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड–II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 17 (ख) (i), (ग) (i) एवं 19, 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण क्रमांक 14, 15 तथा 16 के नीचे) और परिशिष्टों (VIII, IX, XI तथा XII) को छत्तीसगढ़ सरकार/निगमों/कम्पनियों/समितियों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुध्दता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुध्दता के साथ–साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ पठित वित्त लेखे 2017–18 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

मामलों का ध्यानाकर्षण –

मैं निम्नलिखित पर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा :

1 छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल (सी.एच.बी.) ने छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों में शासकीय कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कैनरा बैंक से ₹ 161.02 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की। छत्तीसगढ़ शासन ने इस ऋण के मूलधन एवं उपार्जित ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सहमति व्यक्त की। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.एच.सी.एल.) ने पुलिस कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹ 132.63 करोड़ एवं कैनरा बैंक से ₹ 37.52 करोड़ की ऋण राशि प्राप्त की। छत्तीसगढ शासन ने सी.पी.एच.सी.एल. के ऋण के पुर्नभुगतान हेतु वार्षिक बजट में ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान अनुमोदित किया। इस प्रकार, ऋण का दायित्व पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ शासन में निहित था, न कि सी.एच.बी. तथा सी.पी.एच.सी.एल. पर, यद्यपि यह दायित्व छत्तीसगढ़ शासन के लेखों में परिलक्षित नहीं हुआ। परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के दायित्व में ₹ 331.17 करोड़ की कमी दर्शाई गई।

2 राज्य शासन के 12 विभागों ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में 1387 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक देयकों (ए सी बिल) के विरूद्ध ₹ 3,846.56 करोड़ की राशि आहरित की, किन्तु वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ₹ 132.95 करोड़ की राशि के 160 विस्तृत आकस्मिक देयकों (डी.सी. बिल) को प्रस्तुत नहीं किया। अतः, इस संदर्भ में कोई आश्वासन नहीं है कि ₹ 132.95 करोड़ की राशि वास्तविक रूप से उसी प्रयोजन में खर्च की गई थी, जिस प्रयोजन के लिए उक्त राशि विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत की गई थी।

3 राज्य शासन द्वारा 10 सार्वजनिक उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमें उनके लेखे 31 मार्च 2018 तक लंबित थे, ₹ 9,463.02 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रतिभूति) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुए अपने विगत 1 से 4 वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया। इस कारण,

मैं, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हूं।

उक्त मुद्दों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां का विस्तृत विवरण 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 'स्टेट फायनेन्स ऑडिट रिपोर्ट' में दिया गया है।

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक : 31 जुलाई 2019
स्थान : नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे समाहित है, जो वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता है। इन लेखाओं को दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है, खंड–I में राज्य के वित्त की समेकित स्थिति समाविष्ट है और खंड–II लेखाओं को विस्तृत रूप में दर्शाता है। अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु वर्ष के लिए सरकार के विनियोग लेखाओं को पृथक संकलन में प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त लेखे, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के साथ पठित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है। इस संकलन के विवरणों (8, 9, 17 (ख) (i), 17 (ग) (i), 19 एवं 20), व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विवरण क्रमांक 14, 15 तथा 16 के नीच) और परिशिष्टों (VIII, IX, XI तथा XII) को छत्तीसगढ़ सरकार/निगमों/कम्पनियों/समितियों से प्राप्त हुई सूचना से सीधे तैयार किया गया है, जो ऐसी सूचना की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

छत्तीसगढ़ सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा/अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ–साथ इन लेखाओं तथा राव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, निगमों एवं विनियमों के अनुसार राव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियों एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थायें हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ यह प्रमाणित करता हूँ कि "लेखाओं के लिए टिप्पणियों" के साथ पठित वित्त लेखे 2018–19 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति तथा प्राप्तियों एवं संवितरणों का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले छत्तीसगढ़ सरकार पर हमारे वित्तीय, अनुपालन एवं निष्पादन प्रतिवेदनों में शामिल हैं।

ध्यानाकर्षण हेतु मामले

मैं निम्नलिखित मामलों पर ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा –

1. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (सी.एच.बी.) द्वारा शासकीय कर्मचारियों हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में 6,424 आवासीय भवनों का निर्माण तथा 728 फ्लैट के क्रय हेतु केनरा बैंक से ₹ 401.64 करोड़ एवं इलाहाबाद बैंक से ₹ 195 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया। इस ऋण के मूलधन एवं ब्याज का पुनर्भुगतान का दायित्व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिया गया। इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी.एच.सी.एल.) द्वारा पुलिस कर्मचारियों हेतु 10,000 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹ 143.76 करोड़ एवं केनरा बैंक से ₹ 60.95 करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया।

   इस प्रकार, ऋण का दायित्व पूर्णरूप से छत्तीसगढ़ शासन में निहित था न कि सी.एच.बी. तथा सी.पी.एच.सी.एल. पर, यद्यपि यह दायित्व छत्तीसगढ़ शासन के लेखों में परिलक्षित नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ शासन के दायित्व में ₹ 801.35 करोड़ की कमी परिलक्षित हुई।

2. वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के स्वचालित संग्रहण के प्रारंभ होने से लेखापरीक्षा के लिए यह आवश्यक है कि सभी लेनदेनों की नमूना जांच के स्थान पर व्यापक जांच की ओर बढ़ा जाए, जिससे लेखों के प्रमाणीकरण के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के संवैधानिक आदेश का परिपालन किया जा सके। डाटा तक वांछित पहुंच अभी प्रदान किया जाना बाकी है। जी.एस.टी. के सभी लेनदेनों के डाटा तक पहुंच न होने के कारण, जी.एस.टी. प्राप्तियों की व्यापक लेखापरीक्षा में कठिनाई हो रही है। अतः वर्ष 2018–19 के लेखे, नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर एक बार अपवाद के रूप में, उसी प्रकार प्रमाणित किये गये हैं जैसा कि अभिलेखों को मैनुअल रूप में रखरखाव के समय किये जाते थे।

3. राज्य शासन द्वारा नौ सार्वजनिक उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमें उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक लंबित थे, ₹ 12,789.88 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रतिभूति) स्वीकार किया। इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत 1 से 4 वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया। इस कारण,

मैं, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हूँ।

उपरोक्त मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां का विस्तृत विवरण 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए "राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन" में दिया गया है।

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

दिनांक : 22 जुलाई 2020
स्थान : नई दिल्ली

3.3 स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किये है, जिसमें से केवल चार स्वायत निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को न्यासित किया है। दिसम्बर 2019 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण आगे की तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका 3.3 खातों को जमा करने की स्थिति

क्र. सं.	निकाय	अनुभाग	सौपे जाने की अवधि	जिस वर्ष खातों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	खातों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ राज्य	20(1) डीपीसी एक्ट 1971	2014–15 से आगे	2016–17	राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने संबंधी सूचना अपेक्षित है।	18 (2017–18) 06 (2018–19)
02	छत्तीसगढ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2009 से आगे	2012–13 से 2014–15	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	42 (2015–16) 30 (2016–17) 18 (2017–18) 06 (2018–19)
03	छत्तीसगढ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एक्ट 1971	2007–08 से 2011–12	2007–08 से 2011–12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया लेकिन इसे राज्य विधान सभा में रखे जाने की सूचना अप्राप्त है।	2011–12 के बाद अप्रस्तुत

छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के खातों का लेखा परीक्षा डीपीसी एक्ट 1971 के अनुभाग 19 (2) के अंतर्गत दिनांक 5 मार्च 2019 को न्यासित किया गया । लेखापरीक्षा अचल संपत्ति (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (मार्च 2016) के अधिनियमित होने के तीन वर्ष बाद, अर्थात वित्तीय वर्ष 2019–20 से प्रारंभ होगा ।

***अनुशंसाः** प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकाय लेखापरीक्षा को लेखे समय से प्रस्तुत करें।*

3.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात सितम्बर माह तक तैयार किया जाना है, ऐसा न होने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन भागीदारी बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹ 50,000 से ₹ 5,00,000 तक या दोनों हो सकता है। 31 दिसम्बर 2019 तक का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) के लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण **तालिका 3.4** दर्शाया गया है:–

तालिका:3.4 कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे के निस्तातरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपकमों की संख्या	28	3	31
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	18	2	20
3	बकाया लेखे की संख्या	25	3	28
4(अ)	छह वर्षों से अधिक बकाया सा.क्षे.उ. की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक
4(ब)	उपरोक्त लोक सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक
5(अ)	दो से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	4	1	5
5(ब)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	11	2	13
6(अ)	एक वर्ष तक सा.क्षे.उ. की बकाया लेखे की संख्या	14	1	15
6(ब)	एक वर्ष सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	14	1	15
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 4	1 से 2	1 से 4

(स्रोतः– कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े)

राज्य सरकार नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमे उनके लेखे 31 मार्च 2019 तक लंबित थे, ₹ 12,789.88 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रत्याभुति) स्वीकार किया । इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत एक से चार वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.3** मे दिया गया। हालांकि अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोई भी बजटीय सहयता प्रदान नहीं की गई । इस कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ रहे ।

उपरोक्त कथन संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है और विशेष रूप से वित्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि चूक करने वाली कंम्पनियां संबंधित अधिनियमों का अनुपालन करें।

***अनुशंसाः** वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरूद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया है।*

3.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का घोषित न होनाः–

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को शासकीय द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार, 12 सा.क्षे.उ. ने ₹ 981.76 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। केवल दो सा.क्षे. उपक्रमों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹ 2.33 करोड़ (जिसमें से ₹ 2.25 करोड़ तथा ₹ 0.08 करोड़ कमशः छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार से संबंधित है) और ₹ 0.81 करोड़ (छत्तीसगढ़ सरकार व भारत सरकार की 50:50 हिस्सेदारी) करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया । मुख्य लाभ अर्जन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (लाभ ₹ 671.82 करोड़) व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड़ (लाभ ₹ 106.83 करोड़) थे जिन्होंने लाभांश घोषित नहीं किया ।

जबकि, 31 जनवरी 2019 को, कुल लंबित 47 विस्तृत आकस्मिक देयक की राशि ₹ 115.15 करोड़ का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं.आ. देयकों का समाशोजन करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हो।*

3.3 स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किया है, जिसमें से केवल तीन स्वायत निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को न्यासित किया है। दिसम्बर 2018 सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण आगे की तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका 3.3 खातों को जमा करने की स्थिति

क्र. सं.	निकाय	अनुभाग	सौपे जाने की अवधि	जिस वर्ष खातों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	खातों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ राज्य	20(1) डीपीसी एक्ट 1971	2014–15 से आगे	2014–15 से 2016–17	राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने संबंधी सूचना अपेक्षित है।	06 माह (2017–18)
02	छत्तीसगढ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2009 से आगे	2012–13 से 2014–15	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन का जारी किया गया।	30 (2015–16) 18 (2016–17) 06 (2017–18)
03	छत्तीसगढ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एक्ट 1971	2007–08 से 2011–12	2007–08 से 2011–12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया। लेकिन इसे राज्य विधान सभा में रखे जाने की सूचना अप्राप्त है।	2011–12 के बाद अप्रस्तुत

अनुशंसा: *प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकाय लेखापरीक्षा को लेखे समय से प्रस्तुत करें।*

3.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपकमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात सितम्बर माह तक तैयार किया जाना है, ऐसा न होने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन

भागीदारी बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹ 50,000 से ₹ 5,00,000 तक या दोनों हो सकता है। 31 दिसम्बर 2018 तक का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) के लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण **तालिका 3.4** दर्शाया गया है:–

तालिका:3.4 कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे के निस्तातरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	23	3	26
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	13	1	14
3	बकाया लेखे की संख्या	19	1	20
4(अ)	छह वर्षों से अधिक बकाया सा.क्षे.उ. की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक
4(ब)	उपरोक्त लोक सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक
5(अ)	दो से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	3	निरंक	3
5(ब)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	9	निरंक	9
6(अ)	एक वर्ष तक सा.क्षे.उ. की बकाया लेखे की संख्या	10	1	11
6(ब)	एक वर्ष सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	10	1	11
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 4	1	1 से 4

(स्रोतः– कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े)

लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक, चार वर्षों की अवधि तक कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहे, जैसा कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कथन संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है और विशेष रूप से वित्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि चूक करने वाली कंम्पनियां संबंधित अधिनियमों का अनुपालन करें।

यह भी विशेष रूप से अवलोकनार्थ है कि इन सा.क्षे. उपक्रमों को वित्तीय समर्थन की मांग की वास्तविकता के लिए लेखें के अभाव में भी वित्त विभाग इक्विटी, ऋण, सहायक अनुदान/सब्सिडी, प्रतिभूतियों के रूप में वित्तीय सहायता नियमित रूप से प्रदाय किया है।

राज्य सरकार वर्ष 2017–18 तक दस कार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 9,463.02 करोड़ का बजटीय समर्थन प्रत्याभूतिः ₹ 2,920,30 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.), अनुदानः ₹ 1,697.08 करोड़ (छः सा.क्षे.उ.) तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदानः ₹ 4,845.64 करोड़ (आठ सा.क्षे.उ.) प्रदान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 3.3** में प्रदर्शित है । अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई है।

***अनुशंसाः** वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरूद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया है।*